रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08122023-250505
SG-DL-E-08122023-250505

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 324
No. 355]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6 2023/AGRAHAYANA 15, 1945	[N. C. T. D. No. 324

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2023

फा.सं. 54(120)/विकास.(मुख्या.)/पशा./2023/भर्ती नियम/1538—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59 – एचएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 20 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना सं. फा. 18/7/62—आर एवं एस/एबी तथा दिनांक 04 जनवरी 2010 की अधिसूचना सं. फा. 47(33)/विकास. मुख्या./एलए/2009/3568 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास विभाग की पशुपालन इकाई में सहायक प्रयोगशाला तकनीशियन के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीषक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को पशुपालन इकाई (विकास विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सहायक प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u>

1.	**पदनाम**	**सहायक प्रयोगशाला तकनीशियन**
2.	पदों की संख्या	02* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह–'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (रूपये 19900–63200/–)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18–25 वर्ष* **टीप 1**: केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय। **टीप 2**: आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड /सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होनी हो, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	एक विषय के रूप में जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के साथ 10+2 **टीप** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा **टीपः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालीक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले तथा कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन (56) वर्षो से अधिक नहीं होगी)।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या हैं।	समूह–'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा. सुधा.) –**अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –**सदस्य** 3. उप–सचिव (सा.प्रशा.वि.) –**सदस्य** **टीपः** यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से और उनके नाम पर,

राम प्रसाद मीणा, विशेष विकास आयुक्त

DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th December, 2023

F. No. 54(120)/Dev.(HQ)/Admn./2023/RR/1538—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.27/59-HM(I) dated 13 July, 1959 and in supersession of Notification No. F.18/7/62-R&S/AB dated 20th September, 1965 and Notification No. F.47(33)/Dev.HQ/LA/2009/ 3568 dated 4th January, 2010 of this Government, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Laboratory Technician in the Animal Husbandry Unit of Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencements -** (i) These rules may be called the Animal Husbandry Unit (Development Department) Government of National Capital Territory of Delhi, Assistant Laboratory Technician, Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the Pay Matrix: -** The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification-** No person-

   (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a Spouse living, or

   (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a Marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	**Name of the post**	**Assistant Laboratory Technician**
2.	No. of posts	02 * (2023) *Subject to variation dependent on work-load
3.	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'
4.	Pay Level of the Pay Matrix	Level 2 (Rs. 19900-63200) of Pay Matrix
5.	Whether Selection or Non-Selection Post	Not applicable
6.	Age limit for Direct Recruits	18 to 25 years* **Note 1:** The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.

7.	Educational & other qualification required for direct recruits	10+2 with Biology/Biotechnology as one of the subjects. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.
8.	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	Two year
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/ State Government/ UTs holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7. (The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications).
11.	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	**Group 'C' Departmental Conformation Committee (for considering confirmation)** 1. Principal Secretary/ Secretary (AR) – **Chairperson** 2. Head of the Department concerned – **Member** 3. Dy. Secretary (GAD) – **Member** **Note:** *Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.*
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making Recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi

RAM PRASAD MEENA, Special Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.08 22:08:12 +05'30'